

वकालत वन प्रमाण, वकालत।

(दीप चन्द आर्य)
प्रमाणित वनाधिकारी

प्रमाणित अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में संयोजित प्रेषित।
पत्रांक-1034 / 12-1 तददिनांकित

वकालत वन प्रमाण, वकालत।

(दीप चन्द आर्य)
प्रमाणित वनाधिकारी

भवदीय,

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन वालन जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूर्वक वृक्षाखोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	4.130 है०	3.37,184/-	13,92,570.00
2	एन०पी०वी०	2.065 है०	6.57,000/-	13,56,705.00

उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -
के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र की पत्र सं०-881/यू०पी०वी०/06/52/2016/एफ०पी०/1162 दि० 04.09.2020 से जारी भारत सरकार, पृथ्वीरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

महोदय,

दि० 19.09.2020

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-786

प्रस्ताव।

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विसीगोलानी से चटल होते हुए धौना मन्दिर होकर काहा-नेहा-पुनाह मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.065 है० वन भूमि हस्तान्तरण

दिनांक 11/09/2020
पत्रांक सं० 881/यू०पी०वी०/06/52/2016/एफ०पी०/1162

अधिकांशी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिवा

सेवा में,

कार्यालय प्रमाणित वनाधिकारी, वकालत वन प्रमाण, वकालत।
पत्रांक-1034 / 12-1 दिनांक, वकालत 25 सितम्बर 2020

dfc_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078



28.9.2020
प्रमाणित